(144)

(251)

एक०डी०वी०

न्यायालय श्रीमान ~~सदस्य~~ महोदय रीवा जिला रीवा म.प्र.

R. 5065 – रीवा/18

2018

~~विलोपित / विलोपित~~ ~~विलोपित / विलोपित~~

रामदयाल तनय श्री ~~देवशरण~~ कुशवाहा उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम गोदहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र..............................निगराकार

बनाम

शासन म0प्र0 जरिये हल्का पटवारी वीणा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 वगै0..गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधि0 .

मान्यवर,

प्राथी / निगराकार निम्न आवेदन प्रस्तुत कर विनय है:--

1:–' यह कि गैरनिगराकार कमांक--3 के पिता सतेन्द्र सिंह ने अधिकारिता रहित व गलत ढंग से नक्शा तरमीम करवाकर मौके से प्रार्थी / निगराकार को परेशान करना प्रारंभ कर दिया है तथा निगराकार को स्वयं के कब्जे दखल की भूमि से बेदखल करने का प्रयास करने लगा है तथा तहसील न्यायालय मे कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है।

2:-- यह कि प्रार्थी / निगराकार, गैरनिगराकार कमांक--3 के पिता द्वारा पेश तहसील न्यायालय के प्रकरण मे उपस्थित हुआ और गैरनिगराकार के पिता सतेन्द्र सिंह ने प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि कहने लगा तब प्रार्थी ने नक्शा की नकल हेतु दिनांक 28.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 18.08.2018 को प्राप्त हुई तब प्रार्थी / निगराकार को गैरनिगराकारगण द्वारा किये गये कृत्य व नक्शा तरमीम की जानकारी हुई दिनांक 19.08.2018 को रविवार का अवकाश होने के कारण निगरानी नही प्रस्तुत की जा सकी आज निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा

......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5065 / रीवा / 2018 जिला–रीवा

रामदयाल कुशवाहा / शासन, प्रिया सिह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहात्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मौजा गोदहा, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	